डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No HQ/PIO/RTI/253/12 **Dt. 01-01-2013**

Sh. Sujeet Singh.
S/O- Sh. Devi Prasad Kushwa
10/2, Juhi Safed Colony
Kanpur -208 014 (Uttar Pradesh)

Sub: Information under RTI Act- 2005
Ref: Your application dt: 16-11-2012 received on 21-11-2012.

उपरोक्त विषय में सम्बंधित विभाग द्वारा प्राप्त टिपण्णी निम्नलिखित है :-

मद् 1 :–

(1) प्रथम चरण के अंर्तगत परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा की राशि रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय एंव गजट नोटिफिकेशन के दौरान जिलाधिकारी की मूल्याकंन सूची के आधार पर घोषित किया गया था।

(2 व 3) आपके गाटा स0 236 के आदेश में आबादी दर्ज नही हैं। अतः आबादी की दर से मुआवजा राशि नही बनाई गई। राजस्व अभिलेख खतौनी में धारा 143 के अर्तगत आवसीय भूमि दर्ज होने पर ही आवसीय प्रतिकर की राशि सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार घोषित की जाती हैं।

(4) आपके गाटा सं0 236 में दी गई अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर की राशि रेलवे संशोधन अधिनियम के अर्न्तगत प्रावधानों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेते हुए घोषित की गई थी । अभिनिर्णय घोषित होने के उपरान्त अगर आप मुआवजा की राशि से संतुष्ट नही हैं तो वह मध्यस्था का भी सहारा ले सकता हैं । धारा 20ई के अर्न्तगत उल्लेखित प्रावधानों में अधिग्रहीत भूमि के नोटिफिकेशन के उपरांत भूमि मौलिक रूप से रेल मंत्रालय के अधीन मानी जाती हैं।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर की राशि घोषित होने के उपरान्त नामांतरण की कार्यवाही रेलवे संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई।

(5) आपके प्रथम चरण में जिन ग्रामों के अधिग्रहीत भूमि अभिनिर्णयों एक वर्ष के उपरांत घोषित किए गये थे। उन सभी ग्रामों के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत विलम्ब हेतु 5 प्रतिशत प्रतिकर की दर से ब्याज की राशि भी संबधित भू–स्वामी को प्रदान कर दी गई हैं।

DESPATCH

(6) आपकी अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की राशि रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप राजस्व अभिलेखों में दर्ज आदेशानुसार घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई हैं प्रार्थी यदि संतुष्ट नही है तो मध्यस्थावाद के लिए मंडलायुक्त कानपुर नगर को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता हैं अथवा अन्य प्रावधानों जैसे ग्रीवेन्स रिड्रेसल कमेटी का सहारा भी ले सकता हैं।

मद् 2 :–

ग्राम अम्बियापुर के प्रथम चरण में प्राइवेट भूमि एंव सरकारी भूमि का 20ए साथ में किया गया था जो कि सत्य हैं।

मद् 3 :–

यह सत्य हैं कि प्राइवेट भूमि के मुआवजा की राशि हेतु घोषित अभिनिर्णय रेल संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा 20ए गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन की तिथि को जिलाधिकारी द्वारा जारी मूल्याकंन सूची के आधार पर घोषित किया गया हैं।

मद् 4 :–

रेल संशोधन अधिनियम 2008 के अर्न्तगत प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधान के अर्न्तगत मुआवजा की राशि घोषित की जाती हैं जबकि सरकारी भूमि का पुर्नग्रहण राशि राज्य शासन के आदेशानुसार प्रावधानों के अनुसार प्रशासन द्वारा तय की जाती हैं।

मद् 5 व 6 :–

शासन स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में अभी दिनांक 03.12.12 के पट आदेश दिया गया है, जिससे की परियोजना में पुर्नग्रहण होने वाली भूमि का भी मूल्य उसी दर पर लिया जायें। जिस दर पर प्राइवेट भूमि का प्रतिकर दिया जा रहा हैं। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

o/c

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to : CPM/Tundla